JALAUN POLICE

दिनांक – 03.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन **तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप एससी एसटी के अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त इकरार उर्फ मामू को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त इकरार उर्फ मामू पुत्र कल्लू खां निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना कालपी हाल पता आलमपुर बाईपास थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा वादिया के पति के साथ मारपीट व गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने की घटना में वादिया श्रीमती गोरी पत्नी महेन्द्र पाल निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना कलापी की की तहरीर के आधार पर दिनांक 07.05.2020 को मु0अ0सं0 131/2020 (वाद संख्या 23/21) धारा 323/504 भादवि 3(1)द, ध एससी एसटी एक्ट बनाम 1- इकरार उर्फ मामू पुत्र कल्लू खां निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना कालपी हाल पता आलमपुर बाईपास थाना कालपी जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 25.05.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 03.02.2026 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त इकरार उपरोक्त 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।